



2907

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460502364
वाद संख्या:- 2364/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम कमलेश कुमारी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 07/03/2026

वाद सं0-375

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2025 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं0 00862 की गाटा सं0 2907 रकबा 0.1390हे0 मे से विक्रीत रकबा 0.0695हे0 व खाता सं0 00120 की गाटा सं0 3271मि रकबा 0.3820हे0 मे से विक्रीत रकबा 0.3820हे0 व खाता सं0 00395 की गाटा सं0 3271स रकबा 0.4490हे सम्पूर्ण व खाता सं0 00519 की गाटा सं0 2936स रकबा 0.3670हे0 सम्पूर्ण, व खाता सं0 00951 की गाटा सं0 2933 रकबा 0.2150हे0 मे से विक्रीत रकबा 0.0716हे0 कुल रकबा 1.5520हे0 मे से विक्रीत रकबा 1.3391हे0 विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मा0गु0 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी कामता प्रसाद निवासी दोना लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 08.12.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"